

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :- श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)
वाद पत्र संख्या 106/2024 जीसीएमएस संख्या 2024/306 दायर दिनांक 18.07.2024 निर्णय दिनांक 29.07.2025

शीर्षक



- 1 मीरा देवी पत्नी नवल सिंह
- 2 श्रीकंवर पत्नी रामसिंह
- 3 धूडसिंह पुत्र नारायणसिंह
- 4 अमरसिंह पुत्र नारायण सिंह
- 5 कृष्ण सिंह पुत्र नारायण सिंह
- 6 मनोहरसिंह पुत्र करण सिंह

समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी ढाणी बीजा का बास रेलों, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान।

वादीगण

बनाम

- 1 रामस्वरूप सिंह पुत्र करण सिंह जाति राजपूत, निवासी ढाणी बीजा का बास रेलों, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान।
- 2 राजेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
- 3 गोविन्द सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
- समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम डींडवाडा पोस्ट खंडाज, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
- 4 राजबाला कंवर पत्नी शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी टिहरी पोस्ट खंडांच तहसील किशनगढ जिला अजमेर, राजस्थान।
- 5 घीसूसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
- 6 नरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
- समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम रेलाना तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान।
- 7 रामू कंवर पत्नी भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी डोडिया की ग्राम ईटावा पोस्ट फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
- 8 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुथरा ग्रामीण बैंक शाखा राजनौता, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान।
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड
10. महिपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह
11. मोहन सिंह पुत्र हनुमान सिंह
12. श्रवण सिंह पुत्र हनुमान सिंह
- समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी ढाणी मोमसिंह वाली ग्राम कारौली तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड राज.
13. शाखा प्रबन्धक सिडीकेन्ट बैंक शाखा कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड राज.

प्रतिवादीगण

- 14 जस्सु सिंह पुत्र करण सिंह
15. प्रीति पत्नी सुनील सिंह
16. रघुवीर सिंह पुत्र करण सिंह
- समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी बीजा का बास ग्राम रेलों तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान।
17. सविता कंवर पत्नी नवल सिंह जाति राजपूत, प्रेमनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान
- वादी वकील श्री रघुवीर सैनी
- प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

1. वादीगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश वाद पत्र निम्नानुसार है कि स्थित ग्राम रेला तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान आराजी हाल खसरा नम्बर 2257/282/0.0030, 2258/282/0.5870, 279/0.39, 280/0.56, 281/0.57, 318/0.46, 320/0.54, 541/0.41, 542/0.28 कुल किता 09 रकबा 3.80 है० में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/20, वादी संख्या 02 हिस्सा 1/30, वादी संख्या 03 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 04 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 05 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 06 हिस्सा 1/18, आराजी हाल खसरा नम्बर 540/0.35, 543/0.51, 545/0.09, 546/0.05, 547/0.03, 548/0.33, 549/0.14, 550/0.32, 589/0.06 कुल किता 10 कुल रकबा 1.94 है० में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/20, वादी संख्या 02 हिस्सा 1/30, वादी संख्या 03 हिस्सा 1/6 वादी संख्या 04 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 05 हिस्सा 1/6 वादी संख्या 06 हिस्सा 1/18 आराजी हाल खसरा नम्बर 277/0.30 कुल किता 01 कुल रकबा 0.30 है० में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/10, वादी संख्या 02 हिस्सा 1/15, वादी संख्या 6 हिस्सा 1/9 आराजी हाल खसरा नम्बर 2261/285/0.005, 2262/285/0.4150, 284/0.59 कुल किता 03 कुल रकबा 1.01 है में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/25, वादी संख्या 02 हिस्सा 3/50, वादी संख्या 03 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 04 हिस्सा 1/6 वादी संख्या 05 हिस्सा 1/12, आराजी हाल खसरा नम्बर 319/0.82 कुल किता 01 कुल रकबा 0.82 है० में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/20, वादी संख्या 02 हिस्सा 1/30, वादी संख्या 03 हिस्सा 1/6 वादी संख्या 04 हिस्सा 1/15 वादी संख्या 05 हिस्सा 4/15, वादी संख्या 06 हिस्सा 1/18 के खातेदार काश्तकार काबिज है शेष हिस्से के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 व तहसीली प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 13 है। छोटा देवी पुत्री करण सिंह व सन्तोष पुत्री करण सिंह फौज हो चुके है जिनके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 02 से 07 है

2. वादीगण व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है, वादीगण अपने हिस्से की भूमि का तकास्मा करवाकर हिस्सा कर शांतिपूर्ण तरीके से खेती बाड़ी करना चाहते है तथा अपने हिस्से की भूमि के तार बाउण्ड्री करवाना चाहते है यह सब करने के लिए सर्वप्रथम सहखातेदारी भूमि का तकास्मा करवाया जाना आवश्यक है। वादीगण एवं प्रतिवादी पिछले दो वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्ण तरीके से खेती बाड़ी का कार्य करते चले आ रहे है परन्तु पिछले एक वर्ष से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 ने वादीगण को सहखातेदारी भूमि होने की वजह से परेशान करना शुरु कर दिया है, बार-बार प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से के कब्जे की स्थिति बदल देते है प्रतिवादी परिवारजनों से एकराय होकर वादीगण की उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ठान चुके है। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 ने उक्त भूमि को आवासीय भूखण्डो के रूप में बेचान करने की तैयारी कर ली है इस प्रकार वादीगण को अनेक प्रकार से परेशान किया जा रहा है।

3. वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 को इस वर्ष अनेको बार अपनी-अपनी भूमि का तकास्मा करवाने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 समझौतापूर्ण तरीके से तकास्मा करवाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि वादीगण को अपने हिस्से की भूमि को विकसित करने हेतु तकास्मा करवाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 घरेलू इच्छावश सहखातेदारी का लाभ उठाकर बार-बार वादीगण के कब्जे की स्थिति बदल देते है रास्ते पर लगती हुई भूमि को स्वयं हडप करना चाहते है तथा पेशेवर झगडालु, आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों को आवासीय भूखण्डो के रूप में भूमि बेचान कर वापीगण को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते है। जब तक कानून तकास्मा नहीं हो जाता प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपने हिस्से की भूमि का सुधार कार्य करवाने में असमर्थ है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

4. वर्ष 2023 से आज तक वादीगण ने अपने भूमि का तकास्मा करवाने के अनेको बार प्रयास किये परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 तैयार नहीं है ऐसी स्थिति में अदालत श्रीमान की शरण में आना आवश्यक हुआ अब वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की भूमि का तकास्मा किया जाना आवश्यक है और अदालत श्रीमान से सविनय वादपत्र पेश है। विवादित भूमि अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः अदालत श्रीमान को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित कोर्ट फीस 2 रू. पेश है।

5. अतः वादीगण का वाद पत्र डिक्री फरमाया जाकर स्थित ग्राम रेलों तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान आराजी हाल खसरा नम्बर 2257/282/0.0030, 2258/282/0.5870, 279/0.39, 280/0.56, 281/0.57, 318/0.46, 320/0.54, 541/0.41, 542/0.28 कुल किता 09 रकबा 3.80 है० में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/20, वादी संख्या 02 हिस्सा 1/30, वादी संख्या 03 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 04 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 05 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 06 हिस्सा 1/18, आराजी हाल खसरा नम्बर 540/0.35, 543/0.51, 545/0.09, 546/0.05, 547/0.03, 548/0.33, 549/0.14, 550/0.32, 589/0.06 कुल किता 10 कुल रकबा 1.94 है० में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/20, वादी संख्या 02 हिस्सा 1/30, वादी संख्या 03 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 04 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 05 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 06 हिस्सा 1/18, आराजी हाल खसरा नम्बर 277/0.30 कुल किता 01 कुल रकबा 0.30 है० में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/10, वादी संख्या 02 हिस्सा 1/15, वादी संख्या 6 हिस्सा 1/9, आराजी हाल खसरा नम्बर 2261/285/0.005, 2262/285/0.4150, 284/0.59 कुल किता 03 कुल रकबा 1.01 है में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/25, वादी संख्या 02 हिस्सा 3/50, वादी संख्या 03 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 04 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 05 हिस्सा 1/12, आराजी हाल खसरा नम्बर 319/0.82 कुल किता 01 कुल रकबा 0.82 है० में वादी संख्या 01 हिस्सा 1/20, वादी संख्या 02 हिस्सा 1/30, वादी संख्या 03 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 04 हिस्सा 1/15, वादी संख्या 05 हिस्सा 4/15, वादी संख्या 06 हिस्सा 1/18, खसरा नं. 2260/283/0.96 में वादी संख्या 06 प्रतिवादी संख्या 01 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 का हिस्सा 1/5 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 14 लगायत 17 के हिस्से का तकास्मा कर उन्हें तन्हा रूप से खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 12 किसी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे, भूमि को खुर्द बुर्द ना करे, बेचान, रहन, निर्माण आदि नही करे उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अन्य दादरसी जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

6. वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवत तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 लगायत 08 बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहे इस कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तरतीबी प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं वादी वकील ने वकालतनामा पेश कर वादपत्र के समर्थन में सहमति जाहिर। दिनांक 10.10.2024 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रैजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 21.11.2024 को वादी वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी की प्रार्थना पत्र पर बहस उपरान्त न्यायहित में दिनांक 28.01.2025 को स्वीकार किया गया। दिनांक 06.05.2025 को संशोधित वादपत्र पेश किया जो स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 10 लगायत 13 की विधिवत तामिल करवाई गई, बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 10 लगायत 13 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 14.05.2025 को वादी वकील की एकपक्षीय बहस के उपरान्त संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार पावटा को कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर पेश करने हेतू लिखा गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)



7. दिनांक 15.07.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री करने हेतु निवदेन किया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया, तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न० 2257/282/0.0030, 2258/282/0.5870, 279/0.39, 280/0.56, 281/0.57, 318/0.46, 320/0.54, 541/0.41, 542/0.28, 540/0.35, 543/0.51, 545/0.09, 546/0.05, 547/0.03, 548/0.33, 549/0.14, 550/0.32, 589/0.06, 277/0.30, 2261/285/0.005, 2262/285/0.4150, 284/0.59, 319/0.82, 2260/283/0.96 हैक्टैयर वाके मौजा रेला प०ह० कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	मीरा देवी पत्नि नवल सिंह हि. 395/573 श्रीकंवर पत्नि रामसिंह हि. 178/573 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2266/283/1/0.288, 284/1/0.205, 543/1/ 0.08
2	विमला देवी पत्नि मनोहरसिंह हि. 101/723 मनोहरसिंह पु० करणसिंह हि. 622/723 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2266/283/2/0.288, 284/2/0.205, 550/1/0.16, 549/1/ 0.07
3	शर्मिला कंवर पत्नि संदीप सिंह हि. 10/78 रामस्वरूप सिंह पु० करणसिंह हि. 68/78 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	320/0.50, 542/0.28
4	गुडडो कंवर पत्नि संदीप सिंह हि. 10/73 जस्सूसिंह पु० करणसिंह हि. 63/73 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	320/1/0.04, 318/0.46, 550/1/0.16, 549/1/ 0.07
5	रघुवीर सिंह पु० करणसिंह हि. सम्पूर्ण जाति राजपूत सा.देह	543/2/0.30
6	रघुवीर सिंह पु० करणसिंह हि. 1/3, जस्सूसिंह पु० करणसिंह हि. 1/3, मीरा देवी पत्नि नवल सिंह हि. 1/3 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	589/1/0.03
7	मनोहरसिंह पु० करणसिंह हि. 1/108, रामस्वरूप सिंह पु० करणसिंह हि. 7/108, जस्सूसिंह पु० करणसिंह हि. 12/108, छोटी देवी पुत्री करणसिंह हि. 39/108, सन्तोष देवी पुत्री करणसिंह हि. 39/108, श्रीकंवर पत्नि रामस्वरूपसिंह हि. 10/108 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	280/0.26, 279/0.39, 277/0.30, 543/3/0.13
8	श्रवणसिंह पु० हनुमानसिंह हि. 1/3, मोहनसिंह पु० हनुमानसिंह हि. 1/3, महिपालसिंह पु० हनुमानसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2266/283/3/0.384, 284/3/0.09
9	धूड़सिंह पु० नारायणसिंह जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	540/0.35, 541/0.41, 545/0.09, 546/0.05, 547/0.03, 548/0.33, 589/2/0.03
10	अमरसिंह पु० नारायणसिंह जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2258/282/1/0.294, 281/0.285, 319/0.41
11	कृष्णसिंह पु० नारायणसिंह जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2258/282/2/0.293, 2262/285/0.1625, 284/4/0.09, 281/1/ 0.285, 319/0.41



उपर्युक्त अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

12	सविता कंवर पत्नि नवलसिंह जाति राजपूत सा. ओमनगर	2262/285/1/0.2525
13	प्रीति पत्नि सुनिल जाति राजपूत सा. देह	280/1/0.30
14	सामलात	2257/282/0.0030, 2261/285/0.0050

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावे। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

17/10/25 लंटेकेचन नोट: - वेर्जप भास के यूकब हेवा
04 पट लरिहिन अ.क्र. 2266/283/1 के ल्वाग पट
2260/283/1 ' व ' 2266/283/2 के ल्वाग पट
2260/283/2 ' ल्वा 2266/283/2 के ल्वाग पट
2260/283/3 ' इकलत भिया जला ही पला जके।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)
वाद पत्र संख्या 106/2024 जीसीएमएस संख्या 2024/306 दायर दिनांक 18.07.2024 निर्णय दिनांक 29.07.2025

प्रपत्र - 5

शीर्षक

- 1 मीरा देवी पत्नी नवल सिंह
 - 2 श्रीकंवर पत्नी रामसिंह
 - 3 धूडसिंह पुत्र नारायणसिंह
 - 4 अमरसिंह पुत्र नारायण सिंह
 - 5 कृष्ण सिंह पुत्र नारायण सिंह
 - 6 मनोहरसिंह पुत्र करण सिंह
- समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी ढाणी बीजा का बास रेलों, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।



बनाम

वादीगण

- 1 रामस्वरूप सिंह पुत्र करण सिंह जाति राजपूत, निवासी ढाणी बीजा का बास रेलों, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।
 - 2 राजेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
 - 3 गोविन्द सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
- समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम डींडवाडा पोस्ट खंडाज, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
- 4 राजबाला कंवर पत्नी शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी टिहरी पोस्ट खंडांच तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान।
 - 5 घिसूसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
 - 6 नरेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
- समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम रेलाना तहसील दूदू जिला जयपुर, राजस्थान।
- 7 रामू कंवर पत्नी भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी डोडिया की ग्राम ईटावा पोस्ट फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान।
 - 8 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुथरा ग्रामीण बैंक शाखा राजनौता, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।
 9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़
 10. महिपाल सिंह पुत्र हनुमान सिंह
 11. मोहन सिंह पुत्र हनुमान सिंह
 12. श्रवण सिंह पुत्र हनुमान सिंह
- समस्त जाति राजपूत, समस्त निवासी ढाणी मोमसिंह वाली ग्राम कारौली तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़ राज.
13. शाखा प्रबन्धक सिडीकेन्ट बैंक शाखा कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड़ राज.

प्रतिवादीगण

- 14 जस्सु सिंह पुत्र करण सिंह
 15. प्रीति पत्नी सुनील सिंह
 16. रघुवीर सिंह पुत्र करण सिंह
- समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी बीजा का बास ग्राम रेलों तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।
17. सविता कंवर पत्नी नवल सिंह जाति राजपूत, प्रेमनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान
- वादी वकील श्री रघुवीर सैनी
प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न० 2257/282/0.0030, 2258/282/0.5870, 279/0.39, 280/0.56, 281/0.57, 318/0.46, 320/0.54, 541/0.41, 542/0.28, 540/0.35, 543/0.51, 545/0.09, 546/0.05, 547/0.03, 548/0.33, 549/0.14, 550/0.32, 589/0.06, 277/0.30, 2261/285/0.005, 2262/285/0.4150, 284/0.59, 319/0.82, 2260/283/0.96 हैक्टयर वाके मौजा रेला प०ह० कारोली तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -


क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	मीरा देवी पत्नि नवल सिंह हि. 395/573 श्रीकंवर पत्नि रामसिंह हि. 178/573 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2266/283/1/0.288, 284/1/0.205, 543/1/ 0.08
2	विमला देवी पत्नि मनोहरसिंह हि. 101/723 मनोहरसिंह पु० करणसिंह हि. 622/723 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2266/283/2/0.288, 284/2/0.205, 550/1/0.16, 549/1/ 0.07
3	शर्मिला कंवर पत्नि संदीप सिंह हि. 10/78 रामस्वरूप सिंह पु० करणसिंह हि. 68/78 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	320/0.50, 542/0.28
4	गुड्डो कंवर पत्नि संदीप सिंह हि. 10/73 जस्सूसिंह पु० करणसिंह हि. 63/73 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	320/1/0.04, 318/0.46, 550/1/0.16, 549/1/ 0.07
5	रघुवीर सिंह पु० करणसिंह हि. सम्पूर्ण जाति राजपूत सा.देह	543/2/0.30
6	रघुवीर सिंह पु० करणसिंह हि. 1/3, जस्सूसिंह पु० करणसिंह हि. 1/3, मीरा देवी पत्नि नवल सिंह हि. 1/3 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	589/1/0.03
7	मनोहरसिंह पु० करणसिंह हि. 1/108, रामस्वरूप सिंह पु० करणसिंह हि. 7/108, जस्सूसिंह पु० करणसिंह हि. 12/108, छोटी देवी पुत्री करणसिंह हि. 39/108, सन्तोष देवी पुत्री करणसिंह हि. 39/108, श्रीकंवर पत्नि रामस्वरूपसिंह हि. 10/108 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	280/0.26, 279/0.39, 277/0.30, 543/3/0.13
8	श्रवणसिंह पु० हनुमानसिंह हि. 1/3, मोहनसिंह पु० हनुमानसिंह हि. 1/3, महिपालसिंह पु० हनुमानसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2266/283/3/0.384, 284/3/0.09
9	धूडसिंह पु० नारायणसिंह जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	540/0.35, 541/0.41, 545/0.09, 546/0.05, 547/0.03, 548/0.33, 589/2/0.03
10	अमरसिंह पु० नारायणसिंह जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2258/282/1/0.294, 281/0.285, 319/0.41
11	कृष्णसिंह पु० नारायणसिंह जाति राजपूत राहिन बदस्तूर।	2258/282/2/0.293, 2262/285/0.1625, 284/4/0.09, 281/1/ 0.285, 319/0.41
12	सविता कंवर पत्नि नवलसिंह जाति राजपूत सा. ओमनगर	2262/285/1/0.2525
13	प्रीति पत्नि सुनिल जाति राजपूत सा.देह	280/1/0.30
14	सामलात	2257/282/0.0030, 2261/285/0.0050



उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

आज दिनांक 29.07.2025 को उक्त डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(कपिल कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

1

17/10/25 संशोधन गेट :- डिस्ट्री भाग के पृष्ठ
केस नं० 02 पर 'वर्षित खंडल गेट' 2266/283/1
के खान पर 2260/283/1, व 2266/283/2
के खान पर 2260/283/2 तथा 2266/283/3
के खान पर 2260/283/3 'डुकुलत' किया जाता
है फटा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)